

Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad , DIST- BHIND (M.P)

Case No. 191/17

क्र. १९१/१७
न्यायिक नजिरा प्रकाश
मिशन काठ

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

श्री. गोहद

Name , parentage, caste and address of accused

सतीश रामकमत पुत्र सुख रामकमत नि. अमिनगर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission


आपने दिनांक 23.09.17 को समय लगभग 1:40 बजे, स्थान
गोलमवातिराहा अंतर्गत थाना गोहद में वाहन को
MP 07 MR 0172 को बिना तीन सवारी के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
120/177 M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (If any) Gohad dist. Bhind (M.P.)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।



Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved, If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.09.17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128/177 M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सतीश रामजगत पुत्र सुखराम अनात नि. अमनगल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128/177 M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमशः राशि रुपये कुल एक लाख रुपये रु० (1,00,000/-) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन क्र० MP07MR 0172 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित


Judicial Magistrate First Class
Collector District Blind (M.P.)